न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/8030

दिनांक – 29/08/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 लक्ष्मी पत्नि करनाराम जाति जाट निवासी ए एच 36 महावीर नगर बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर।		1 अशोक कुमार पुत्र मुल्तानमल वगैराह निवासी बेरीवल, मुम्बई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 296/2025 दिनांक– 15/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3566/2304 रकबा 0.1619 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

क्रमांक :– रीडर/2025/8031-8034 दिनांक– 29/08/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेंर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेंर आगोर तहसील बाड़मेंर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लक्ष्मी पत्नि करनाराम जाति जाट निवासी ए एच 36 महावीर नगर बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण अषोक कुमार पुत्र मुल्तानमल निवासी बेरीवल, मुम्बई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर